



बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी - भाग-1 राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया अब सरल एवं सुगम-पूर्णतः पारदर्शी

①

<https://biharbhumi.bihar.gov.in/> को खोलें।

②

"Revenue Court Management System" पर क्लिक करें। तथा अब "File Case Online" बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपने मोबाइल no की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा "राजस्व न्यायालय में मुकदमा दर्ज करें" पर क्लिक करें।

④

मुकदमा दायर करने के लिए, अप्लाई केस सेक्शन के अंतर्गत अधिनियम के नाम पर क्लिक करें। जिस अधिनियम अंतर्गत आप वाद दायर करना चाहते हैं।

③

न्यायालय चुनें जिसमें आप मुकदमा दायर करना चाहते हैं। आपको तीन विकल्प मिलेंगे- अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अपर समाहर्ता

⑤

जिला, सर्किल दर्ज करें और फिर आगे बढ़ें पर क्लिक करें। उसके बाद भूमि से संबंधित सभी विवरण भरें और "Add Details" पर क्लिक करें। सभी मामलों को सूचीबद्ध करने के बाद Proceed बटन पर क्लिक करें और उपलब्ध फॉर्म को भरें।

⑥

सभी आवश्यक फ़िल्ड भरने और सभी संबंधित दस्तावेज़ आदि अपलोड करने के बाद, "Save" बटन पर क्लिक करें। यदि सभी आवश्यक जानकारी ठीक से भरी गई है, तो मामला Save हो जाएगा और एक अस्थायी नंबर प्रदान किया जाएगा। रसीद प्रिंट करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। आवेदन को अंतिम रूप देने से पहले Finalize बटन करें और ड्राफ्ट के रूप में सहेजें विकल्प भी उपलब्ध है। आप तत्काल दायर कर सकते हैं या कोई कागजात/ जानकारी कम रहने पर ड्राफ्ट के रूप में सहेज कर बाद में पूरी जानकारी के साथ आवेदन दायर कर सकते हैं।



⑧

मामले को अंतिम रूप देने के बाद, केस रिकॉर्ड को Defect Check के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

⑦

यदि मामले को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, तो उपयोगकर्ता इसे "ड्राफ्ट एप्लिकेशन" मेनू से बदल सकता है। अथवा उस अस्थायी नंबर के सामने संपादित करें बटन का चयन करें जिसे वे संपादित करना चाहते हैं।

⑨

मामले की Defect Check के बाद, केस नंबर आवंटित किया जाएगा। यदि कोई defect है, तो याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा।

⑩

यदि न्यायालय द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता "Add Case Records" से केस रिकॉर्ड ऑनलाइन जमा कर सकता है। आवेदक वांछित केस का चयन करेगा और "दस्तावेज़ जोड़ें" लिंक पर क्लिक करके, फ़ाइल अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा।